

पत्र संख्या : 7वि.शा./मु.राँची-05-13/2019 ज.सं. .... 365

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग राँची;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 29.3.22

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू को काँची सिंचाई योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के कार्यान्वयन हेतु निर्गत आवंटन रू. 630.23 लाख में से रू. 176.55 लाख (एक करोड़ छिहतर लाख पचपन हजार मात्र) राशि का प्रत्यर्पण स्वीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या-40/15-16, दिनांक 16.12.2015 एवं यथा संशोधित 19/18-19, दिनांक 10.07.2018 (Online A.A.-870/12.07.18), आवंटनादेश सं.-206, दिनांक 24.12.2021, आवंटनादेश सं.-342, दिनांक 21.03.2022

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन प्रत्यर्पण स्वीकृत किया जाता है :-

क्र.	माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	प्रत्यर्पण स्वीकृति की राशि (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय /80- सामान्य	796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/62- मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण	05-निर्माण, 45 निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 49S47018079662000545	176.55

प्रत्यर्पण स्वीकृति की राशि - ₹ एक करोड़ छिहतर लाख पचपन हजार मात्र।

2. उपर्युक्त प्रत्यर्पण स्वीकृत की जा रही राशि की विवरणी निम्नवत् है :-

(राशि लाख रू. में)

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मार्च 2021 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2021-22 में			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (6+9)	On-line Allotment Access No
						पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पित राशि	संशोधित आवंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिंचाई प्रमंडल, बुण्डू (RNCIRR011)	राँची	काँची सिंचाई योजना अंतर्गत कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन के क्रियान्वयन	9367.62	792.180	630.23	176.55	453.68	8156.814	88770
योग					7703.134	630.23	176.55	453.68	8156.814	

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 365

राँची, दिनांक :- 29.3.22

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्डू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/राँची/बुण्डू सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 365

रॉची, दिनांक :- 29.3.22

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)



(श्याम किशोर प्रसाद सिंह)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)  
सचिव